

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मोहन लाल बनाम एस डी ओ जयपुर प्रथम व अन्य

केस संख्या 178/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में विचाराधीन प्रकरण सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित हो गई है। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 85/2021 व उनवानी मोहन लाल बनाम जे डी ए व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीणा से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उक्त पत्रावली अव सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाने से उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीणा के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर</p>	